Gorwed - Camp

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः– /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

मकान किराये भत्ते की दरें पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–19/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय कार्मिकों तथा विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र	"अवर्गीकृत श्रेणी" कालम–3 व 4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
1	2	3	4	5
1.	18000–56900 (लेवल–1)	2500	2100	1800
2.	19900–63200 (लेवल–2)	2500	2100	1800
3.	21700–69100 (लेवल–3)	2650	2200	1800
4.	25500–81100 (लेवल–4)	3100	2550	2050
5.	29200–92300 (लेवल–5)	3550	2950	2350
6.	35400–112400 (लेवल–6)	4250	3550	2850
7.	44900–142400 (लेवल–7)	5400	4500	3600
8.	47600–151100 (लेवल–8)	5750	4800	3850
9.	53100–167800 (लेवल–9)	6400	5350	4250
10	56100–177500 (लेवल–10)	6750	5650	4500
11	67700–208700 (लेवल–11)	8150	6800	5450
12	78800–209200 (लेवल–12)	9500	7900	6350
13	123100–215900 (लेवल–13)	12000	8000	7000
14	131100–216600 (लेवल–13A)	12000	8000	7000
15	144200–218200 (लेवल–15)	12000	8000	7000
16	182200–224100 (लेवल–16)	12000	8000	7000
17	225000 (लेवल–17)	12000	8000	7000

2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर/शहर/स्थान में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो

Scanned by CamScanner

Forwarded - Camp.

अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6. यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

7. मकान किराया भत्ता पूरे वर्ष में केवल 12 महिने का ही अनुमन्य होगा, भले ही किसी संवर्ग के कार्मिकों को वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन देय हो।

8. उक्तानुसार मकान किराया भत्ता दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य होगा।

9. मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

<u>संख्याः 55 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयोजक, उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner